न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री मनोज कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 198/2018

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
शोभाराम पुत्र मनरूप जाति जाट निवासी कंकडाय तहसील मुण्डवा जिला नागौर।		तहसीलदार, मुण्डवा

उपस्थिति :–
1. श्री धर्माराम खुडखुडिया अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से।

निर्णय दिनांक:05.11.19

{1}–मामलें के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, मुण्डवा द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 67/2018 सरकार बनाम शोभाराम में निर्णय दिनांक 09.07.18 के तहत मौजा कंकडाय के खसरा नं. 39 रकबा 0.15 बीघा गै.मु. रास्ता भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर दिनांक 30.07.18 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 04.09.19 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मंगवाया गया। अपीलांट द्वारा अपनी अपील के समर्थन में तहसीलदार मुण्डवा के प्रकरण सं. 67/18 सरकार बनाम शोभाराम के फर्द अहकाम दिनांक 27.06.18 से 09.07.18 की फोटोप्रति, पटवारी रिपोर्ट की फोटोप्रति, नोटिस की फोटोप्रति, बयान की फोटोप्रति, निर्णय दिनांक 09.07.18 की फोटोप्रति, नक्शा ट्रेस की फोटोप्रति, नकल खतोनी की फोटोप्रति, मिलान क्षेत्रफल की फोटोप्रति तथा मौका फर्द की फोटोप्रति पेश की। रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय वकील उपस्थित हुए।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि–

{2}(I)–अपीलांट ने खसरा नं. 39 गै.मु. रास्ता पर कोई नया अतिक्रमण नही किया है खसरा नं. 39 के पश्चिमी तरफ के खेत खसरा नं. 36 व 38 पूर्वी सीमाये गत पांच दशको से वही पर स्थित है जो खेत रेस्पोडेन्ट सं. 2 की खातेदारी का है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा साबिका नक्शा के अनुसार भूमाप किये बिना ही अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी अनुचित रूप से मानकर आदेश जैर अपील पारित करने मे कानूनी त्रुटि की है।

{2}(II)–अपीलांट का मौके पर कोई कब्जा काश्त नही है। इसलिये न्यायालय मे उपस्थित होकर कब्जा छोडने का भी लिखित मे निवेदन कर दिया, फिर भी अत्यधिक कठोर सिविल कारावास से दण्डित करने का निर्णय पारित करने मे अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटि की है तथा निर्णय जैर अपील साईक्लोस्टाईल फार्म पर खाली जगह भर कर पारित किया है जो विधि सम्मत निर्णय की तारीफ मे नही आता है।

{2}(III)–अपीलांट का न तो पहले कब्जा था न ही अपीलांट का कब्जा हटाया गया न ही पश्चातवर्ती कब्जा किया गया है न ही पटवारी के सशपथ बयान लिये गये है व बिना भूमाप किये ही, बिना पश्चातवर्ती अतिक्रमण किये, रेस्पोडेन्ट सं. 2 की बजाय अपीलांट को जिसका मौके पर कब्जा नही है उसे बेदखल करने व सिविल कारावास से दण्डित करने मे त्रुटि की है।

{2}(IV)–गत भू प्रबंध द्वारा साबिका नक्शे मे बिना अधिकार परिवर्तन कर देने के कारण नये नक्शे से सही भूमाप होने की संभावना नही है इस सूरत मे इस प्रकरण मे साबिका नक्शा अनुसार विशेषज्ञ

अपर कलक्टर, नागौर

कमीश्नर द्वारा नये नक्शे व पुराने नक्शे मे किये गये फेरबदल के अनुसार भूमाप करवाया जाकर रिपोर्ट मंगवाई जाकर अपील का निर्णय करते हुए अपील अपीलांट स्वीकार करना न्याय संगत है।

{2}(V)–वकील अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध शोभाराम के शपथ पत्र दिनांक 02.07.18 की ओर ध्यान दिलाया तथा तर्क दिया कि अपीलांट द्वारा उक्त भूमि से अतिक्रमण हटा लिया गया है तथा उक्त अतिक्रमण हटाये जाने की पुष्टि मौका रिपोर्ट दिनांक 26.06.19 से भी होती है। इसलिये अपीलांट का अतिक्रमण हट चुका है तो ऐसी स्थिति मे सिविल कारावास की सजा को माफ किया जाना चाहिये।

{3}–राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अपीलांट द्वारा मौजा कंकडाय में स्थित गै.मु. रास्ता भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट को अतिक्रमी माना जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

{4}– उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। पटवारी हल्का की अतिक्रमण रिपोर्ट में आराजी भूमि वाके कंकडाय के खसरा नंबर 39 रकबा 0.15 बीघा गै.मु. रास्ता भूमि पर अपीलांट का अतिक्रमण किया जाना अभिलेख से पाया गया। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को विधिवत नोटिस दिया गया है। अपीलांट का अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित होना अभिलेख से साबित भी है। आराजी भूमि की किस्म गै.मु. रास्ता है। जो सार्वजनिक उपयोग की भूमि है। प्रस्तुत मौका रिपोर्ट दिनांक 26.06.19 के अनुसार आराजी भूमि से अतिक्रमण हटाया भी जा चुका है। ऐसी स्थिति मे सिविल कारावास के बिन्दु पर नरम रूख अपनाया जाना उचित प्रतीत होता है।

{5}– उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश के तहत सिविल कारावास की सजा इस शर्त के साथ माफ की जाती है कि अपीलांट ने आराजी भूमि से अतिक्रमण हटा लिया तथा भविष्य में अतिक्रमण नही करने के संबंध में इस आदेश जारी होने के 15 दिवस में अधीनस्थ न्यायालय में शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा तथा अधीनस्थ न्यायालय स्वयं मौका निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करेंगें कि अपीलांट का भौतिक रूप से अतिक्रमण है अथवा नही। यदि भौतिक रूप से अतिक्रमण पाया जाता है तो सिविल कारावास की सजा यथावत कायम रहेगी। शेष बेदखली एवं जुर्माना से संबंधित आदेश जैर अपील यथावत कायम रहेगा।

{6}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार),
अपर कलक्टर,
नागौर

अपर कलक्टर, नागौर